बाल संसद

'मेरा विद्यालय मेरी नजर से'

छात्रों का सर्वांगीण विकास शिक्षा का लक्ष्य है, जिसके लिये दायित्व बोध उत्पन्न करने के साथ उनमें लोकतंत्र के प्रति निष्ठा भावना का प्रसार करना आवश्यक है। यदि छात्र सामूहिकता के महत्व को समझ जायेंगे, तो जीवन भर उनमें अहं की जगह सामुदायिक सहभागिता की भावना जागृत होगी। कदम से कदम मिलाकर चलना सीखने के साथ उनकी अभिव्यक्ति मुखर होगी। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। विद्यालयों में बाल संसद का गठन छात्र-छात्राओं को जिम्मेदार नागरिक बनायेगा। व्यक्तिगत कौशल के संवर्धन के लिये 'बाल संसद' का प्रयोग स्वस्थ प्रतियोगी भावना के विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

नवाचारकों के नाम

1. **मीना कुमारी**, पू॰ मा॰ वि॰ खेरागढ़-1, खेरागढ़, आगरा
2. **आशुतोष दुबे**, प्रा॰ वि॰ तालग्राम, जिला कन्नौज
3. **नीलिमा श्रीवास्तव**, पू॰ मा॰ वि॰ जोगिया शेखपुर फूलपुर, इलाहाबाद
4. **डा॰ मनोज कुमार पाण्डे**, प्रा॰ वि॰ कनइल-1, क्षेत्र- कौड़ीराम, गोरखपुर
5. **रुचि वर्मा**, प्रा॰ वि॰ मिर्जानगला, क्षेत्र- कमालगंज, फर्रूखाबाद
6. **रख्शन्दा अन्जुम,** उ॰ प्रा॰ वि॰ फूलसिंहा, सम्भल

नवाचार के क्षेत्र

1. विद्यालय प्रबंधन
2. सामुदायिक सहभागिता

किन विद्यालयों में उपयुक्त है: प्रत्येक विद्यालय में लागू किया जा सकता है।

नवाचार का सार

छात्रों में प्रबंधन व नेतृत्व क्षमता के विकास में बाल संसद की अहम भूमिका है। साथ ही शिक्षकों के अभाव में विद्यालय में शैक्षिक व सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन संभव है। बाल संसद के गठन से विद्यालय की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बाल संसद के अंतर्गत विभिन्न समितियों के गठन से समक्ष आने वाली विद्यालय की समस्याओं को छात्र स्वयं ही दूर करने लगते हैं। इस नवाचार को लागू करने वाले विद्यालयों में सुव्यवस्थित प्रबंधन संभव हुआ है।

क्रियान्वयन : छात्रों द्वारा छात्रों की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में लागू किया जा सकता है।

'बाल संसद' नवाचार निम्न बिन्दुओं के अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है–

पूर्व नियोजन : नामांकन प्रक्रिया द्वारा इच्छुक छात्र स्वयं को नामांकित करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के उपरांत विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन विभाग के सदस्यों एवं अभिभावकों की आम सभा का आयोजन कर 'बाल संसद' के सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

1. गठन प्रक्रिया के आधार पर
2. छात्रों की रुचि एवं योग्यतानुसार, शिक्षक स्वविवेक से
3. प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से

गठन प्रक्रिया : बाल संसद के अंतर्गत निम्नलिखित पद सुनिश्चित किये जा सकते हैं।

- प्रधानमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री
- संसद अध्यक्ष एवं उप संसद अध्यक्ष
- संबंधित समितियों के मंत्री, उप मंत्री एवं सदस्य
- आवश्यकतानुसार समितियों के मार्गदर्शन हेतु प्रभारी अध्यापकों का भी चयन किया जा सकता है।
- समितियों की संख्या विद्यालय व्यवस्था, छात्र संख्या, समस्याओं के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।
- छात्र-छात्राओं की रुचि एवं व्यक्तिगत कौशलों के विकास एवं संवर्धन हेतु प्रयास किये जा सकते हैं।
- गठन प्रक्रिया में अभिभावकों की भी अहम भूमिका हो सकती है। अतः हर समिति में एक अभिभावक का पद निर्धारित किया जा सकता है।

बाल संसद के गठन उपरांत सामूहिक रूप से शपथ समारोह का आयोजन किया जाये, जिसमें विभिन्न समितियों के मंत्रियों तथा पदाधिकारियों को बैज लगाकर सम्मानित किया जाये।

शपथ : शपथ ग्रहण हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए आवश्यक है कि बाल संसद के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी का बोध कराने के लिये उन्हें शपथ ग्रहण करायी जाये। शपथ प्रपत्र का नमूना प्रस्तुत है—

बाल संसद सदस्य के रूप में हम सभी यह शपथ लेते हैं कि बिना किसी भेदभाव के हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी व सच्चाई के साथ करेंगे।

हम अपने विद्यालय व समुदाय को शिक्षित, सुन्दर व स्वच्छ बनाने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहेंगें।

समितियों के प्रकार : विद्यालय बाल-संसद में निम्नलिखित समितियां गठित की जा सकती हैं–

गृह समिति : यह समिति सभी समितियों के कार्यों का समन्वय एवं विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था को बनाये रखने के दायित्व का निर्वहन करेगी। अनुश्रवण कर अध्यापकों से निर्देश प्राप्त कर विद्यालय की समस्याओं का निस्तारण करने में सहायक होगी।

शिक्षा समिति : यह समिति विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहयोग करेगा। बाल अखबार, बुलेटिन बोर्ड सजाना, कक्षा-कक्ष साज-सज्जा,

प्रबंधन, TLM कॉर्नर बनाना, कक्षा-कक्ष शिक्षण प्रक्रिया सहज एवं रुचिपूर्ण बनाने में सहयोग करना इस समिति की जिम्मेदारी होगी।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति : छात्र-छात्राओं की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं विद्यालयी साफ/सफाई, पर्यावरण सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण आदि की व्यवस्था करना। प्रार्थना सभा में नाखून चेक करना, साफ यूनिफार्म, भोजन स्थल की स्वच्छता आदि को सुनिश्चित करना इस समिति के कार्य होंगे।

खेलकूद समितिः यह समिति विद्यालय में खेलकूद, व्यायाम, योगासन एवं विविध खेल एवं प्रतियोगिताएं संचालित करने में सहयोग करेगी। स्काउट एवं गाइड जैसे क्रियाकलाप आधारित विषयों को सुगम एवं सहज बनाने में सहयोग एवं खेल-कूद सामग्री का रखरखाव भी यही समिति देखेगी।

सांस्कृतिक एवं कला समितिः बाल संसद की यह समिति प्रातः काल प्रार्थना सभा का आयोजन करवायेगी। छात्र जन्मोत्सव एवं विविध त्यौहारों, दिवसों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे— रंगोली, फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता, वाद-विवाद, सुलेख प्रतियोगिता, नृत्य संगीत, मेंहदी प्रतियोगिता, पोस्टर बनाना, गीत गायन आदि गतिविधियों का समय-समय पर आयोजन एवं प्रबंधन का कार्य भी यह समिति करेगी।

मिड डे मील समिति : यह समिति भोजन करने से पूर्व भोजन मंत्र उच्चारण एवं भोजन पूर्व एवं भोजन उपरांत हाथ धुलवायेगी (साबुन से), भोजन हेतु बैठने की व्यवस्था करवाना एवं साफ-सफाई की व्यवस्था देखना भी यह समिति करेगी। एम.डी.एम. क्यारी बनवाना और उसमें हरी सब्जियां उगाकर मिड डे मील में बनवाना भी इस समिति का कार्य होगा। समिति मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, मात्रा एवम् निर्धारित मैन्यू के मुताबिक भोजन तैयार कराने में सहयोग करेगी।

अभिभावक समूह समिति : यह समिति सामाजिक जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों एवं क्षेत्रवासियों से संपर्क करने में सहयोग करेगी। PTA, SMC के लिये अभिभावकों को पूर्ण रूप से सक्रिय करने हेतु और उनका एक संदर्भ समूह बनाने में यह समिति सहयोग करेगी। साथ ही समय-समय पर संदर्भ समूह बैठक भी की जायेगी। यह समिति अभिभावकों की विशेषज्ञता एवं दक्षता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजन करायेगी ताकि अगली पीढ़ी में लोकशैलियां स्थानान्तरित हो सकें। अभिभावकों को अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने हेतु एक आदर्श मंच भी मिलेगा।

पुस्तकालय समिति : यह समिति पुस्तकालय में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिये है। पुस्तकालय में किताबों को आवंटित करना, समय पर आवंटित पुस्तक की वापसी सुनिश्चित करना आदि कार्य करती है। बाल अखबार लिखने में सहयोग, बाल पत्रिका आदि में सहयोग प्रदान करना भी इसका दायित्व हो सकता है।

पूर्व छात्र-छात्रा समिति : इस समिति के सदस्य अपनी एवं अन्य छात्रों की गतवर्ष की पुस्तकों को एकत्र कर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिये प्राप्त करवाते हैं एवं विद्यालयी गतिविधियों में सहभागी भी बनते हैं। समय-समय पर पूर्व छात्र विद्यालय में आकर वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, उनसे अपने अनुभव साझा करते है और भविष्य में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित भी करते हैं।

समय सीमा : यह नवाचार अधिकतम एक सप्ताह में लागू किया जा सकता है।

बाल संसद की बैठक : बाल-संसद की बैठक साप्ताहिक या मासिक स्तर पर संसद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों का प्रतिनिधि बनकर शिक्षकों एवं अतिथिगण के साथ मंच साझा करता है। बाल संसद की बैठक में साप्ताहिक अथवा मासिक स्तर पर किये गये कार्यों की समीक्षा, समस्याओं को ज्ञात करना एवं आगे की रणनीति सुनिश्चित करना होता है।

विवरण :

बैठक में छात्रों की समस्याओं का अवलोकन किया जाता है, जिससे छात्र एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं और विचार मंथन कर उन्हें सुलझाने की कोशिश भी करते हैं।

नवाचार के लाभ

(क) विद्यालय को लाभ

1. सुव्यवस्थित विद्यालय प्रबंधन
2. छात्र-छात्राओं के नामांकन दर में सुधार
3. विद्यालय में अनुशासित वातावरण का सृजन
4. विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग
5. समय-समय पर शासन एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन
6. उपचारात्मक शिक्षण में सुगमता
7. छात्रों द्वारा विद्यालय प्रबंधन संभव

(ख) छात्र-छात्राओं को लाभ

1. आत्मविश्वास में वृद्धि
2. नेतृत्व क्षमता का विकास
3. अभिव्यक्ति क्षमता का विकास
4. लोकतांत्रिक/प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक ज्ञान
5. छात्रों/स्टाफ/समुदाय में मानवीय मूल्यों की वृद्धि
6. व्यक्तिगत/विषयगत कौशलों का विकास
7. अधिगम स्तर में वृद्धि
8. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म

(ग) समुदाय को लाभ

1. छात्रों के साथ ही समाज एवं समुदाय में भी श्रमदान, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरुकता
2. समाज/अभिभावकों की सहभागिता विद्यालयी गतिविधियों में संभव
3. छात्रों के साथ ही अभिभावक को समुदाय के सीमित वातावरण से बाहर का ज्ञान तथा असीमित संसाधनो के बारे में जागरूकता
4. सीमित संसाधनों द्वारा जीविकोपार्जन के अवसर तलाश करना
5. सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एकजुटता संभव होना
6. पर्यावरण संरक्षा हेतु सभी को प्रोत्साहित करना

1. MDM क्यारी

मिड डे मील वितरित किये जाने के समय एक समस्या सामने आयी कि कुछ छात्र चुनिन्दा सब्जियां ही खाते हैं। वे हरी सब्जियां जैसे– पालक, सरसों आदि खाना पसन्द नहीं करते। इस समस्या का निवारण करने के लिये छात्रों द्वारा हरी सब्जियां MDM समिति ने लगवायीं, जिसके फलस्वरूप छात्रों में खुद से उगायी हुईं सब्जियों का सेवन करना शुरू कर दिया क्योंकि खुद क्यारी बनाकर बोई सब्जियों के प्रति मोह होना स्वभाविक है।

2. अनुमति-पत्र का निर्माण

अक्सर देखा गया है कि कक्षा में से एक ही समय में दो या दो से अधिक छात्र बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण कक्षा में पढ़ाया जा रहा पाठ उनसे छूट जाता है। इस समस्या का निवारण करने के लिये अनुमति-पत्र बनवाया गया, जो एक समय में एक ही छात्र को दिया जाता है। इससे वह सीमित समय में कक्षा में प्रवेश करने के लिये बाधित होता है।

3. जन्मदिवस वृक्षारोपण

वृक्षों की कमी के कारण छात्रों को उसका महत्व बताना आवश्यक हो जाता है। छात्रों में वृक्षों के प्रति लगाव बढ़ाने के लिये उन्हीं के द्वारा उनके जन्मदिवस पर लगाये गये पेड़ का संरक्षक भी बनाया जाता है। इसी के साथ वृक्षों का जन्मदिवस मनाने की परम्परा भी शुरू किये जाने से वृक्षों के प्रति लगाव बढ़ता है तथा उनमें मानवीय मूल्यों का विकास भी होता है।

4. संदर्भ समूह

इस समिति के सदस्य ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से समय-समय पर अवगत कराते हैं। जैसे– सरकारी उत्थान कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना, डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के उपयुक्त उपाय बताना।

नोटः-

बाल संसद गठन उपरांत सभी बैठकों का आकलन बाल संसद पंजिका में किया जा सकता है, कार्य विभाजन चार्ट कक्षा में लगाया जा सकता है, संसद के कार्यों का मूल्यांकन चार्ट बनाकर उनको प्रोत्साहित भी किया जा सकता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया : विविध समितियों द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन (साप्ताहिक/मासिक) चार्ट के माध्यम से किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ समिति अथवा सदस्य को सम्मानित भी किया जाता है। सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समितियां बदली भी जा सकती हैं। ■